



NON JUDICIAL

193 दिनांक 19/5/2014
SM. ना. फाल्गुन पंचमहाद जलिये
संचालक अजय भुतडा 31 रा. 3
गगनदीप S/गुरुवर्ग
निवासी भ. 3

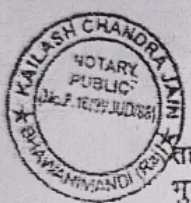
स्वयं

19/5/2014

मध्य प्रदेश 46 007/2013
अदालत परिवार न्यायनैम (वि. वि.)

222 19/5/14
Serial No . . . Date

किराया नामा



मैं, एस एम आई टी आई कॉलेज, नाकोडा नगर तहसील के पिछे पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड, जरिये संचालक अजय भुतडा आयु 36 वर्ष पिता रामचन्द्र भुतडा निवासी भवानीमंडी व गगनदीप सिंह आयु 25 वर्ष पिता गुरुवर्गनसिंह निवासी भवानीमंडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान प्रथम पक्ष किरायेदार

जो कि आप श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामकुमार गुप्ता निवासी भवानीमंडी व सुरेश जैन पिता बापुलाल जी जैन जाति जैन निवासी भवानीमंडी तहसील पचपहाड जिला झालावाड राजस्थान द्वितीय पक्ष मकान मालिक

यह एग्रीमेन्ट दोनो पक्षो के मध्य परस्पर सहमति से निम्नांकित शर्तों के अधीन तय हुआ है।
1- यह कि द्वितीय पक्ष के स्वामित्व का एक भवन बार्ड नं० 3 तहसील के पिछे पचपहाड मे स्थित है। इस भवन का क्षेत्रफल 100 फुट चौड़ा 50 फुट लम्बा है। इस भवन की चतुर्सीमा निम्न प्रकार है।

पुर्व मे:-
पश्चिम मे:-
उत्तर मे:-
दक्षिण मे:-

2- यह कि प्रथम पक्ष पचपहाड मे आई टी आई कॉलेज की स्थापना करने जा रहा है। उक्त कॉलेज हैतु प्रथम पक्ष पैरा नं० 1 मे वर्णित द्वितीय पक्ष के स्वामित्व के भवन को दिनांक 1/6/2014 से 3 वर्ष की अवधि के लिये मासिक किराये पर ले रहे है।

3- यह कि किरायेदारी मासिक होगी तथा दिनांक 01/6/2014 से प्रारम्भ मानी जावेगी। एक वर्ष के लिये मासिक किराया 31000/- रु० प्रतिमाह रहेगा। व हर वर्ष 10 प्रतिशत किराये मे बढोतरी होगी।

Ajay Bhuha

Rajan Deep

निरन्तर 2 पर

ATTESTED



1/2/1

- 4- यह कि प्रथम पक्ष को 15 वर्ष से पूर्व किरायेशुदा भवन कि किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी स्थिती में प्रथम पक्ष को तीन वर्ष का किराया द्वितीय पक्ष को अदा करना ही होगा। द्वितीय पक्ष भी पांच वर्ष की अवधि से पूर्व उक्त भवन को खाली नहीं करायेगा।
- 5- यह कि किरायेशुदा भवन में द्वितीय पक्ष के नाम से विद्युत कनेक्शन करवा रखा है। जिसका मासिक बिल प्रथम पक्ष देगा। विद्युत खर्च का सम्पूर्ण नियमित रूप से बिल के अनुसार प्रथम पक्ष विद्युत विभाग को करता रहेगा। विद्युत विभाग के किसी भी बकाया के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। प्रथम पक्ष अगर विद्युत कनेक्शन ज्यादा वाट का लेना चाहे तो ले सकता है उसका खर्चा वह स्वयं उठायेगा।
- 6- यह कि किरायेशुदा भवन में बोरिंग है तथा उसमें विद्युत मोटर लगी हुई है प्रथम पक्ष मोटर व बोरिंग का उपयोग करने के अधिकारी होंगे।
- 7- यह कि किरायेशुदा परिसर प्रथम पक्ष द्वारा मात्र संस्थान की गति विधियों के संचालन एवं संस्थान के कर्मचारीगण आदि के आवासीय प्रयोजन के उपयोग में लिया जावेगा। प्रथम पक्ष को परिसर में किसी अन्य व्यक्ति को उप किरायेदार के रूप में रखने का अथवा किसी अन्य व्यक्ति को या संस्था को परिसर उपयोग हेतु देने का अधिकार नहीं होगा।
- 8- यह कि संस्था के संचालन में अवरोध होने की स्थिती में उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त यदि परिसर अन्य प्रयोजन हेतु इस्तमाल किया जाता है तो उसके लिये दोनों पक्ष की परस्पर सहमति आवश्यक होगी।
- 9- यह कि प्रथम पक्ष को किरायेशुदा परिसर के मूल स्वरूप में कोई सारभुत अथवा तात्त्विक परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से परिवर्तन आदि किया जा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि परिसर परस्पर सहमति से कोई परिवर्तन किया जाता है तो परिसर खाली करने से पूर्व प्रथम पक्ष को परिसर को यथास्थिती में द्वितीय पक्ष को सौंपना होगा।
- 10- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा किरायाशुदा परिसर में किसी प्रकार की अवैध, गैर कानूनी गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी। और ना ही प्रथम पक्ष द्वारा परिसर में आपत्ति जनक सामग्री विस्फोटक आदि रखे जा सकेंगे। प्रथम पक्ष द्वारा परिसर में किसी भी प्रकार का प्रदूषण आदि उत्पन्न नहीं किया जायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर किरायेशुदा परिसर की साफ-सफाई व लिपाई पुताई करवाती जाती रहेगी। प्रथम पक्ष को इस संबंध में स्थानीय प्रशासन नगरपालिका आदि के नियमों का पालन करना होगा प्रथम पक्ष ऐसा कोई अवैधानिक कार्य नहीं करेगा जिससे पड़ोसियों को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो।
- 11- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा मांग करने पर प्रथम पक्ष किरायेशुदा परिसर का निरीक्षण करवाने हेतु बाध्य रहेगा।
- 12- यह कि किरायेशुदा परिसर पर नगरपालिका व प्रशासन द्वारा लगाये जाने वाले हाउस टेक्स अथवा किसी भी प्रकार के कर आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का रहेगा। प्रथम पक्ष समय समय पर किरायेशुदा परिसर पर लागू किये जाने वाले सरकारी नियमों, उपनियमों के पालनार्थ पाबन्द रहेगा।

Agarwal Bhushan

Rajan Deep

निरन्तर..... 3 पर

ATTACHED

10-5-14



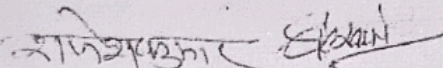
//3//

13- यह कि प्रथम पक्ष आई टी आई कालेज हैतु जो भी आवश्यक निर्माण हो वह करवा ले उसका जो भी खर्चा होगा वह द्वितीय पक्ष को बिल प्रस्तुत करने के उपरान्त 200000/- अक्षरों दो लाख रू० ऐडवान्स पेंटे रखकर बाकि रकम द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देगा या किराये में से कम कर देगा। द्वितीय पक्ष ऐडवान्स दो लाख रू० भवन खाली करने पर प्रथम पक्ष को लौटा देगा। या किराये की राशि में समायोजित कर लेगा।

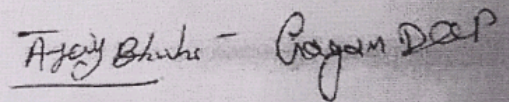
14- यह कि प्रथम पक्ष सम्पूर्ण भवन का का उपयोग कर सकता है इसमें निर्माणाधीन आगे के कोने वाले दो कमरे के पास रहेगें। व उनका जैसा चाहे उपयोग कर सकता है। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः उक्त अनुबंध दोनों पक्षों की रजामंदी से व परस्पर सहमति से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी उज्र दबाव अथवा प्रलोभन के स्वीकार किया गया तथा दो प्रतियों में तैयार किया गया है तथा दोनों पक्षों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर गवाही गवाहान करवा दी जो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

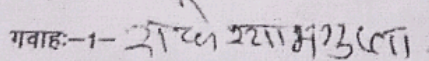
इति दिनांक-19/05/2014

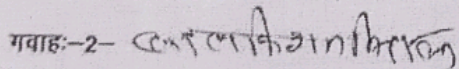

हस्ताक्षर मकान मालिक

हस्ताक्षर किरायेदार



मैं हस्ताक्षरकर्ता/विषयवस्तुकर्ता
जो व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ

गवाह:-1- 

गवाह:-2- 

ATTESTED
19.5.14
PUBLIC
BHAVANIMANDI